पर्दाफाश शिकायतें (लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प)

भ्रष्टाचार का मामला प्रकट करते समय यदि शिकायतकर्ता अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है तो उसे लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पर्दाफाश प्रावधान के नाम से प्रसिद्ध) के अंतर्गत शिकायत देनी चाहिए। आयोग को न केवल शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने का अधिदेश है अपितु इसे शिकायतकर्ता को किसी शारीरिक धमकी, उत्पीड़न अथवा अत्याचार के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश भी है।

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

1. ''लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प'' के अन्तर्गत शिकायतें केवल डाक द्वारा दी जा सकती हैं। लिफाफे पर मोटे शब्दों मे ''लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण'' अथवा ''पर्दाफाश'' लिखा होना चाहिए। शिकायतकर्ता को पत्र के बीच में अपना नाम नहीं देना चाहिए। व्यक्तिगत विवरण पृथक रूप से दिया जाना चाहिए अथवा पत्र के सबसे ऊपर अथवा सबसे नीचे दिया जाना चाहिए ताकि इन्हें आसानी से छिपाया जा सके।

2. यदि किसी व्यक्ति का इस कारण उत्पीड़न किया जाता है कि उसने पर्दाफाश प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत दर्ज की है तो वह मामले में समाधान प्राप्त करने के लिए आयोग के समक्ष आवेदन दे सकता है। तब आयोग शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए उचित रूप से हस्तक्षेप करेगा।

3. आयोग की वेबसाइट http://www.cvc.nic.in पर प्रदर्शित ''शिकायत स्थिति'' पर क्लिक करके शिकायतकर्ता, अन्वेषण किए जाने तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए

संबंधित प्राधिकारियों को भेजी गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई की स्थिति को देखने के लिए आयोग द्वारा दी गई शिकायत संख्या का प्रयोग कर सकते हैं।

लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न

http://www.cvc.nic.in/hindi/matter/newfaqh.pdf

15.12.2014 को संशोधित

(98/डीएसपी/9)

संख्या- 004/वी.जी.एल/26

भारत सरकार

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए

जी.पी.ओ. काम्पलैक्स

आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

दिनांक: 17.05.2004

परिपत्र संख्या 33/5/2004

विषय: लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प।

भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी आरोप का प्रकटीकरण करने वाले अथवा पद के दुरूपयोग किए जाने की लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए ''मनोनीत अभिकरण'' के रूप में प्राधिकृत किया है।

2. उपर्युक्त संकल्प के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना की प्रति संलग्न है। इस संकल्प के अंतर्गत आयोग द्वारा भेजी गई शिकायतों के संबंध में सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को निम्नलिखित कार्रवाईयां करने की आवश्यकता है:

(i) शिकायत में उठाए गए मामले के संबंध में सभी सम्बद्ध दस्तावेज मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए तथा शिकायत में अन्वेषण तत्काल प्रारम्भ कर देना चाहिए। आयोग को अन्वेषण रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दी जाए।

(ii) मुख्य सतर्कता अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समझे गए कारणों पर/ 'पर्दाफाश' होने का संदेह होने से किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

(iii) आयोग के निर्देशों की प्राप्ति के अनुवर्ती, ऐसी शिकायतों पर आधारित किसी अनुशासनिक कार्रवाई को करने के लिए, मुख्य सतर्कता अधिकारी को अनुवर्तन करना है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई के अनुपालन की पुष्टि करना है तथा आयोग को विलंब की सूचना देना है, यदि कोई है तो।

(iv) यह आदेश सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के ध्यान में लाएं।

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी उपर्युक्त निदेशों को अनुपालन के लिए नोट करें।

ह०/-

(सुजीत बनर्जी)

सचिव

सेवा में

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

प्रेस प्रकाशन

भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप अथवा पद के दुरूपयोग को प्रकट किए जाने संबंधी लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को एक 'मनोनीत अभिकरण' के रूप में प्राधिकृत किया है।

2. इस सम्बन्ध में आयोग की अधिकारिता केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत स्थापित निगमों, सरकारी कम्पनी, समितियों अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों तक सीमित होगी। **राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कर्मचारी तथा राज्य सरकारों अथवा इसके निगमों आदि के क्रियाकलाप आयोग की अधिकारिता के अन्तर्गत नहीं आयेंगें।**

3. इस संबंध में, आयोग जोकि ये शिकायतें प्राप्त करेगा, की जिम्मेवारी है कि यह शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखेगा। **अत: जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि इस संकल्प के अन्तर्गत की जाने वाली कोई भी शिकायत निम्नलिखित पहलुओं का अनुपालन करते हुए दी जानी चाहिए।**

(i) शिकायत एक बन्द/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।

(ii) लिफाफा सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नाम होना चाहिए तथा उसके ऊपर ''लोकहित प्रकटीकरण के अन्तर्गत शिकायत'' लिखा होना चाहिए यदि लिफाफे के ऊपर ऐसा नहीं लिखा जाता है तथा लिफाफे को बन्द नहीं किया जाता है तो आयोग के लिए यह संभव नहीं है कि यह उपर्युक्त संकल्प के अन्तर्गत

शिकायतकर्ता की रक्षा कर सके तथा ऐसी शिकायत पर आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के आरंभ अथवा अंत में या एक संलग्न पत्र में अपना नाम तथा पता दिया जाना चाहिए।

(iii) आयोग अनाम/ छद्मनाम शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है।

(iv) शिकायत का पाठ सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि इससे शिकायतकर्ता की पहचान के बारे में कोई विवरण अथवा सुराग न मिल सके। तथापि, शिकायत का विवरण सुस्पष्ट तथा सत्यापनीय होना चाहिए।

(v) व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रखने के उददे्श्य से आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा तथा शिकायतकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं अपने हित में आयोग से आगे कोई पत्राचार न करें। आयोग ये विश्वास दिलाता है कि, यदि मामले के तथ्य सत्यापनीय है, यह आवश्यक कार्रवाई करेगा जैसा कि भारत सरकार के उपर्युक्त वर्णित संकल्प में प्रावधान किया गया है। यदि इससे आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो आयोग शिकायतकर्ता से सम्पर्क करेगा।

4. इस संकल्प के अन्तर्गत आयोग, सोद्देश्य/तंग करने वाली शिकायतें देने वाले शिकायतकर्ताओं के विरूद्ध भी कार्रवाई कर सकता है।

5. विस्तृत अधिसूचना की एक प्रति आयोग की वेबसाईट http://www.cvc.nic.in पर उपलब्ध है।

सार्वजनिक सूचना

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प

भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप अथवा पद के दुरूपयोग को प्रकट किए जाने सम्बन्धी लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को एक ''मनोनीत अभिकरण'' के रूप में प्राधिकृत किया है।

2. इस सम्बन्ध में आयोग की अधिकारिता केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत स्थापित निगमों सरकारी कम्पनी, समितियों अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों तक सीमित होगी। **राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कर्मचारी तथा राज्य सरकारों अथवा इसके निगमों आदि के क्रियाकलाप आयोग की अधिकारिता के अन्तर्गत नहीं आयेगें।**

3. इस संबंध में, आयोग जोकि ये शिकायतें प्राप्त करेगा, की जिम्मेवारी है कि यह शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखेगा। **अत: जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि इस संकल्प के अन्तर्गत की जाने वाली कोई भी शिकायत निम्नलिखित पहलुओं का अनुपालन करते हुए दी जानी चाहिए।**

(i) शिकायत एक **बन्द/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।**

(ii) लिफाफा सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नाम होना चाहिए तथा उसके ऊपर **''लोकहित प्रकटीकरण के अन्तर्गत शिकायत''** लिखा होना चाहिए यदि लिफाफे के ऊपर ऐसा नहीं लिखा जाता है तथा लिफाफे को बन्द नहीं किया जाता है तो आयोग के लिए यह संभव नहीं है कि यह उपर्युक्त संकल्प के अन्तर्गत शिकायतकर्ता की रक्षा कर सके तथा ऐसी शिकायत पर आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार कार्रवाई की

जाएगी। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के आरंभ अथवा अंत में या एक संलग्न पत्र में अपना नाम तथा पता दिया जाना चाहिए।

(iii) आयोग **अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कार्रवाई नहीं** करता है।

(iv) शिकायत का पाठ सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि इससे **शिकायतकर्ता की पहचान के बारे में कोई विवरण अथवा सुराग न मिल सके**। तथापि, शिकायत का विवरण सुस्पष्ट तथा सत्यापनीय होना चाहिए।

(v) व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रखने के उददे्श्य से आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा तथा शिकायतकर्ताओं को **सलाह दी जाती है कि** वे स्वयं अपने हित में आयोग से **आगे कोई पत्राचार न करें**। आयोग ये विश्वास दिलाता है कि, यदि मामले के तथ्य सत्यापनीय है, यह आवश्यक कार्रवाई करेगा जैसा कि भारत सरकार के उपर्युक्त वर्णित संकल्प में प्रावधान किया गया है। यदि इससे आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो आयोग शिकायतकर्ता से सम्पर्क करेगा।

4. इस संकल्प के अन्तर्गत आयोग, **सोददे्श्य/तंग करने वाली शिकायतें देने वाले शिकायतकर्ताओं के विरूद्ध भी कार्रवाई** कर सकता है।

5. विस्तृत अधिसूचना की एक प्रति आयोग की वेबसाईट http://www.cvc.nic.in पर उपलब्ध है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, आई.एन.ए. सतर्कता भवन, नई दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

ह०/-

सचिव

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

संख्या- 004/वी.जी.एल./26

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए

जी.पी.ओ. काम्पलेक्स

आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

दिनांक: 13.02.2012

कार्यालय आदेश सं० 04/02/12

विषय: लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प-दिशानिर्देश।

भारत सरकार ने लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 के अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी आरोप अथवा सरकारी पद के दुरूपयोग को प्रकट करने वाली लिखित शिकायत प्राप्त करने के लिए तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया है। तदनुसार, आयोग ने भी दिनांक 17.05.2004 के परिपत्र सं० 33/5/2004 द्वारा शिकायतकर्ताओं/सूचना देने वालों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अन्तर्गत पर्दाफाश शिकायत देने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर दिशानिर्देश तथा सार्वजनिक सूचना जारी की थी।

2. पिछले कई वर्षों से आयोग ने नोटिस किया है कि 'पर्दाफाश' होने का दावा करने वाले अनेक शिकायतकर्ता, लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत आयोग को शिकायतें देते समय आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं। अत: आयोग पर्दाफाश शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रत्येक संगठन/विभाग के कर्मचारियों सहित जनता के मध्य अधिक जागरूकता पैदा करने

की आवश्यकता पर बल देता है। आयोग मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों/बीमा कंपनियों/स्थानीय प्राधिकरणों/समितियों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को पुन: सलाह देता है कि लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प तथा आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अपनी वेबसाईट के माध्यम से व्यापक प्रचार करें। मुख्यत: संगठन के इन्ट्रानेट, आन्तरिक पत्रिका, प्रकाशनों के माध्यम से ऐसा करें तथा अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए सम्मेलनों/सुग्राहीकरण आदि का आयोजन भी करें ताकि जनता को, विशेषकर अपने कर्मचारियों को आगे आने के लिए तथा भ्रष्ट व्यवहारों अथवा संबंधित संगठनों/विभागों में सरकारी पद का दुरूपयोग करने वालों की केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सूचना दर्ज/रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

-ह०/-

(जे.विनोद कुमार)

विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में

मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक बैंकों/बीमा कंपनियों/स्थानीय प्राधिकरणों/समितियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी।